राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 8/2014

प्रहलाद पुत्र रतना जाति मीणा निवासी रक्सपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 03.03.2014 निर्णय दिनांक : 05.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम रक्सपुरिया में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 122 खसरा नं0 154 रकबा 3.90 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसके साबिक खसरा नं0 201 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व के रकबे के मुताबिक 4 बीघा 6 बिस्वा आराजी हाल रेकार्ड में कम दर्ज कर दी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 154 रकबा 3.90 है0 में 4 बीघा 6 बिस्वा कमी रकबा जोडते हुए पूर्ण रकबा किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/6 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा अंकित किया कि दौराने सेटलमेंट प्रार्थी की आराजी में गत के मुकाबले हुई कमी रकबा 0.66 है0 की पूर्ति करवाना चाहता है। समीपस्थ खसरा नं0 153, 155, 156, 157 एवं 174 का अवलोकन किया गया किसी भी खसरा नं0 में रकबा बढा हुआ नही है दाहिनी तरफ अन्य ग्राम की आराजी है। इस प्रकार खातेदार के कमी रकबे की पूर्ति नही की जा सकती है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ किसी भी खसरा नम्बरान में रकबा बढा हुआ नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। तथा ना ही मिलान क्षेत्रफल संलग्न किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को

उप खण्ड अधिकारी

सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल